राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 64/06–07

विषयः– श्री हरि नारायण श्रीवास्तव, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, मिट्टी जांच प्रयोगशाला, गुमला, झारखण्ड का प्राप्त आवेदन–पत्र।

10.11.2006 कृषि उत्पादन आयुक्त के मंतव्य की मांग दिनांक–02.12.06 के पूर्व करें तथा सुनवाई के लिए दिनांक 05.12.06 को 11.00 बजे प्रातः में रखें। आवेदक को भी सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन) (मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

05.12.2006 दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन) (मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 कृषि उत्पादन आयुक्त को इस मामले में कंडिकावार मंतव्य भेजना था, जो अप्राप्त है। उन्हें पुनः नोटिस भेजा जाय एवं निदेश दिया जाय कि वे अपने लोक सूचना पदाधिकारी के साथ अगली सुनवाई की तिथि 31.01.07 को प्रातः 10.30 बजे आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित हों तथा दिनांक 29.01.07 के पूर्व कंडिकावार मंतव्य भी भेजे। आवेदक को भी इसकी सूचना भेजी जाय।

(मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

31.01.2007 वादी उपस्थित नहीं हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से कंडिकावार मंतव्य प्राप्त है जिसे संचिका पर रखा जाय। वादी को इसकी प्रतिलिपि नहीं दी गई है। कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से कहा गया है कि इसे कल (01.02.2007) तक सूचना दे दिया जायेगा। वाद को दिनांक 19.02.2007 को रखा जाय। वादी को सूचित करें।

(मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

19.02.2007 वादी आज भी उपस्थित नहीं हैं । कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित हैं तथा उनका कहना है कि कंडिकावार मंतव्य की प्रतिलिपि वादी को भेज दी गयी है । नोटिस के बावजूद वादी का इस तरह अनुपस्थित रहना इस बात का द्योतक है कि उन्हें वांछित सूचना प्राप्त हो गई है । अतः वाद को समाप्त किया जाता है ।

(मो0 शकील अहमद) (न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त